COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
विलोपित

3

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /06 पुनर्विलोकन

Rev- 442 / II / 06

श्री मुकेश भार्गव, एडवो. द्वारा आज दि. 7/3/06 को प्रस्तुत।
(हस्ताक्षर)
सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

7 MAR 2006

1- मुन्नीलाल कुर्मी पुत्र रज्जू कुर्मी
2- कुंजीलाल पुत्र रज्जू कुर्मी दोनों
निवासीगण ग्राम खजुराहो तहसील राजनगर
जिला -छतरपुर म0प्र0
--- आवेदकगण

विरूद्ध

1- शांतीबाई बेवा धनीराम कोरी
2- हीराकोरी पुत्री स्व0 धनीराम कोरी
3- धूराम कोरी पुत्र स्व0 धनरीराम कोरी
4- कन्हैया कोरी पुत्र स्व0 धनीराम कोरी
(अवयस्क) वली सरपरस्त माँ श्रीमती
शांतिबाई पत्नी स्व0 धनीराम कारी
समस्त निवासीगण ग्राम खरौंही तहसील
राजनगर जिला-छतुरपुर म0प्र0
5=श्रीमती मुनिया पत्नी बंदी कोरी पुत्री
स्व0 धनीराम निवासी ग्राम नुना तहसील
नौगांव जिला- छतुरपुर म0प्र0
6- श्रीमती रति पत्नी गोकुल कोरी
निवासी ग्राम सुकवा पहाड़ी तहसील
राजनगर जिला-छतरपुर म0प्र0
7- श्रीमती बुधिया पत्नी बाबूलाल कोरी
पुत्री स्व0 धनीराम निवासी रानीपुरा
तहसील राजनगर जिला-छतरपुर म0प्र0
8- सुम्मेरा पुत्र नन्नाईकोरी
निवासी ग्राम खरौंही तहसील राजनगर
जिला- छतुरपुर म0प्र0
9- मोतीलाल पुत्र रामभरोसे खरे
निवासी ग्राम खजुराहो तहसील राजनगर
जिला- छतरपुर म0प्र0
10- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर

मुकेश भार्गव
7-3-06 एडवोकेट
ग्वालियर

//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 2055-दो/05 में पारित आदश दिनांक 19-12-05 के विरूद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलाकन ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है :-

1- यह कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कुछ ऐसी भूले है जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

2- यह कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन में उठाई गई समस्त आपत्तियों पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है इस कारण इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

3- यह कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील ज्ञापन में उठाई गई आपत्तियों का एवं मौखिक तर्कों का आदेश में न तो उल्लेख हो सका है और न ही उनका विनिश्चयन किया गया है, यह अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है जिसके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है । इस संदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलाकनीय है ।
1981 आर०एन० 43 1973 आर०एन० 188 ·

4- यह कि माननीय इस न्यायालय द्वारा इस उपबंध पर विचार नहीं हो सका है उक्त उपबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मंगाये बिना सरसरी तौर पर अपील खारिज नहीं की जा सकती है । इस संभदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है :- 1989 आर०एन० 336 (एच·सी·) 1990 आर·एन·95 (एच·सी·)

3/--

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक 442–दो/06 पुनरावलोकन जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
2.1.17	न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2055–दो/2005 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–12–2005 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में दिये गये आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्र0क0 2232–एक/005 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर एंव न्यायालय के प्र0क0 2055–दो/2005 अपील के तथ्यों एंव आदेश दिनांक 19–12–2005 की समीक्षा पर विचार किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये हैं। किसी भी प्रकरण में पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु संहिता की धारा 51 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई – 1. प्रत्यक्ष दर्शी भूल अथवा नियमों की त्रृटि, 2. किसी ऐसे अभिलेख की प्राप्ति तथा प्रस्तुतीकरण, जो उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जब कि आदेश पारित किया गया एंव वाद में शोध पर प्राप्त हुआ, 3. अन्य पर्याप्त हेतुक . आवेदक के अभिभाषक उक्त आधारों के कम में समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक 19–12–2005 का पुनरावलोकन किन आधारों पर संभव है। इसके विपरीत प्रकरण कमांक 2055–दो/2005 के तथ्यों एंव आदेश दिनांक 19–12–05 में स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(7–ख)

के अंतर्गत कलेक्टर अथवा उसके समकक्ष अनिम्न अधिकारी की अनुमति के बिना पटटे की भूमि का विकय नहीं किया जा सकता है जिसके कारण आदेश दिनांक 19–12–05 से अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17–11–2005–2005 को सही होना माना गया है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 19–12–05 में फेर–बदल की गुॅजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है।

सदस्य